

द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों के आधार पर राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण है, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन-देनों, वित्त लेखे पर आधारित है।

वर्ष 2019-20 के सापेक्ष में वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 1.08 प्रतिशत की कमी हुई राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 3.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई करेतर राजस्व में 10.04 प्रतिशत की कमी हुई राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों में 0.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई भारत सरकार से सहायता अनुदान में 5.87 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	राजस्व व्यय में 4.69 प्रतिशत की कमी हुई सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 2.57 प्रतिशत वृद्धि हुई सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 5.95 प्रतिशत कमी हुई आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 8.85 प्रतिशत कमी हुई सहायता अनुदान पर व्यय 0.45 प्रतिशत वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	पूँजीगत व्यय में 5.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 161.74 प्रतिशत वृद्धि हुई सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 53.46 प्रतिशत वृद्धि हुई आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 13.61 प्रतिशत कमी हुई
ऋणों तथा अग्रिमों	ऋण तथा अग्रिमों के संवितरणों में 10.00 प्रतिशत की कमी हुई ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों में 59.19 प्रतिशत की कमी हुई
लोक ऋण	लोक ऋण प्राप्तियों में 10.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई लोक ऋण अदायगी में 7.76 प्रतिशत की कमी हुई
लोक लेखा प्राप्तियाँ	लोक लेखा प्राप्तियों में 9.41 प्रतिशत की कमी हुई लोक लेखा संवितरणों में 3.11 प्रतिशत की कमी हुई

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग


तालिका 2.2: राज्य की निधि के स्रोतों और उपयोग की तुलना वर्ष 2020-21 के दौरान, वर्ष 2019-20 के साथ की गई जबकि **चार्ट 2.1** और **2.2** वर्ष 2020-21 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)


विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/कमी (-)
स्रोत			
भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभिक रोकड़ शेष	12,277.88	11,396.60	(-)881.28
राजस्व प्राप्तियाँ	63,868.70	63,176.18	(-)692.52
पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.70	4.85	0.15
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	256.78	104.80	(-)151.98
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.13	-0.67	(-)0.80
लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	10,892.50	13,561.39	2,668.89
लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	6,190.85	325.76	(-)5,865.09
आकस्मिकता निधि	4.92	0.00	(-)4.92
योग	93,496.46	88,568.91	(-)4,927.55
उपयोग			
राजस्व व्यय	73,477.31	70,032.84	(-)3,444.47
पूँजीगत व्यय	8,566.39	9,024.19	457.80
ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	56.11	50.50	(-)5.61
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.05	0.01	(-)0.04
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक में अंतिम रोकड़ शेष	11,396.60	9,461.37	(-)1,935.23
योग	93,496.46	88,568.91	(-)4,927.55

स्रोत : वित्त लेखे 2019-20 एवं 2020-21

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)



चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)



स्रोत : वित्त लेखे 2020-21

टीप : ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं आकस्मिकता निधि अन्य में शामिल है।

2.3 राज्य के संसाधन

1. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।


2. पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम प्राप्त करना राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।

3. शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियों: कुछ प्राप्तियाँ और संवितरण संबंधित लेने-देन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 226(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ के अलावा, लोक लेखे में उपलब्ध धन (इससे किये गये संवितरण का निवल) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि


तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2016-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को प्रदान करता है। आगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट 2.4 और चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	53,685.25	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.53	11.11	9.13	(-1.88)	(-1.08)
स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95
राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर (प्रतिशत) (स्वयं के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व)	10.43	6.58	11.04	3.16	(-0.08)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,62,802	2,82,283	3,18,101 ^{पी}	3,44,955 ^{क्यू}	3,50,270 ^ए
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.72	7.41	12.69	8.44	1.54
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.43	21.13	20.46	18.52	18.04
उत्प्लावकता अनुपात¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.99	1.50	0.72	(-0.22)	(-0.70)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावकता	0.62	0.89	0.87	0.37	0.05

स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य ए-अग्रिम अनुमान क्यू-त्वरित अनुमान पी-प्रावधिक अनुमान


चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

¹ उत्प्लावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है। उदाहरणार्थ-यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 1.85 प्रतिशत के संबंध में राजस्व उछाल का अर्थ है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों का प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2016-17 में ₹53,685.25 करोड़ से ₹9,490.93 करोड़ बढ़कर वर्ष 2020-21 के दौरान ₹63,176.18 करोड़ हो गई। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹692.52 करोड़ (1.08 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से राज्य के करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में ₹796.82 करोड़ (10.04 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में ₹798.75 करोड़ (5.87 प्रतिशत) की कमी के कारण हुई।
- वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 48 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ, जबकि 52 प्रतिशत केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 1.08 प्रतिशत (₹692.52 करोड़) की मामूली कमी की तुलना में राजस्व व्यय में 4.69 प्रतिशत (₹3,444.47 करोड़) की उल्लेखनीय कमी हुई, जिसके कारण पिछले वर्ष के ₹9,608.61 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में ₹6,856.66 करोड़ के राजस्व घाटे की कमी हुई।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह तथा योजनाओं के लिए आशातीत केन्द्रीय सहायता के मात्रा पर निर्धारित होता है। अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा करेत्तर स्रोत अनुसार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 2.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व/करेत्तर राजस्व का वृद्धि

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
स्वयं के कर राजस्व (₹करोड़ में)	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20
वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.95	5.01	7.70	3.22	3.49
करेत्तर राजस्व (₹करोड़ में)	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95
वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.71	11.84	21.49	3.00	(-10.04)

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


- स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर 3.22 से 10.95 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तथा वर्ष 2019-20 में 3.22 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 3.49 प्रतिशत हो गया।
- करेतर राजस्व की वृद्धि दर (-)10.04 से 21.49 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है तथा वर्ष 2019-20 में ₹7,933.77 करोड़ से ₹796.82 करोड़ (10.04 प्रतिशत) घटकर वर्ष 2020-21 में ₹7,136.95 करोड़ हो गया।

2.3.3.1 स्वयं का कर राजस्व

वर्ष 2016-21 में पाँच वर्षों के दौरान राज्य की स्वयं का कर राजस्व का विवरण चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2016-21 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वृद्धि दर

(₹ करोड़ में)



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2016-21 पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक-वार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2016-21 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
					बजट प्रावधान	वास्तविक
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,927.21	6,449.60	4,087.72	3,931.37	4,144.37	4,236.04
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	4,386.56	8,203.41	7,894.82	10,700.92	7,925.01
राज्य उत्पाद शुल्क	3,443.51	4,054.00	4,489.03	4,952.36	5,199.72	4,635.80
वाहनों पर कर	985.27	1,180.01	1,204.85	1,274.85	1,600.00	1,148.07
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,211.35	1,197.47	1,108.46	1,634.63	1,705.00	1,584.94
भू-राजस्व	503.66	446.41	487.57	551.50	600.00	937.71
माल एवं यात्रियों पर कर	1,340.36	477.66	54.51	40.51	03.00	79.83
विद्युत कर तथा शुल्क	1,495.48	1,688.96	1,790.27	1,837.00	2,200.00	2,341.41
अन्य कर	38.37	14.01	1.44	0.81	0.39	0.39
योग	18,945.21	19,894.68	21,427.26	22,117.85	26,153.89	22,889.20

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं वर्ष 2020-21 के बजट बुक

राज्य का स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2016-17 में ₹18,945.21 करोड़ से ₹3,943.99 करोड़ (20.82 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹22,889.20 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व में ₹771.35 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से विद्युत कर तथा शुल्क (₹504.41 करोड़), भू-राजस्व (₹386.21 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2020-21 में ₹22,889.20 करोड़ के कुल कर राजस्व में से, वस्तु एवं सेवा करों द्वारा 34.62 प्रतिशत, राज्य उत्पाद शुल्क (20.25 प्रतिशत) तथा बिक्री, व्यापार आदि पर करों (18.51 प्रतिशत) का योगदान दिया। जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि, माल एवं यात्रियों, विद्युत कर तथा शुल्क पर कर से प्राप्तियाँ बजट अनुमान से अधिक थी जबकि राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर तथा स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियों में बजटीय अनुमानों की तुलना में महत्वपूर्ण कमी थी।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर

राज्य शासन ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत, केन्द्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर के कार्यन्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व हानि की भरपाई पाँच वर्ष की अवधि तक करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की राशि की गणना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्व के प्राप्त अंतिम आंकड़ों के लेखापरीक्षा के पश्चात की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2016-21) के वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गये करों के राजस्व आंकड़ा अनुसार तय किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए आधार वर्ष 2015-16 के अनुमानित राजस्व ₹7,357.43 करोड़ में प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि दर को लागू करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित राजस्व ₹14,166.11 करोड़ की गणना की गई।

वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व का आंकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में दर्शाया गया है जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी), इनपुट टैक्स क्रेडिट, एस.जी.एस.टी का क्रास उपयोग एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी), आई.जी.एस.टी का कर भाग का एस.जी.एस.टी. में हस्तांतरण का विभाजन और आई.जी.एस.टी से आग्रिम विभाजन। वर्ष 2020-21 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹14,166.11 करोड़ के विरुद्ध, वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्य शासन को ₹7,925.01 करोड़ के राजस्व प्राप्त हुई। राज्य शासन को वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹3,212.16 करोड़ का क्षतिपूर्ति भी प्राप्त हुई। इसके अलावा, राज्य शासन को 2020-21 के दौरान जीएसटी मुआवजे में कमी के कारण संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए भारत सरकार से ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण भी प्राप्त हुआ।

2.3.3.3 करेत्तर राजस्व

वर्ष 2016-21 के दौरान घटक वार करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का विवरण निचे दिये गये है।

तालिका 2.6: वर्ष 2016-21 के दौरान घटक वार करेत्तर राजस्व

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	(₹ करोड़ में)
						विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4,141.47	4,911.44	6,110.24	6,195.73	5,538.49	(-10.61)
वृहद् सिंचाई	437.35	461.23	521.81	437.04	445.91	2.02
वानिकी तथा वन्य जीव	405.15	291.17	236.73	249.37	277.09	11.12

ब्याज प्राप्तियाँ	157.24	180.44	189.55	232.41	89.77	(-)61.37
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	528.04	496.14	644.69	819.22	785.69	(-)4.09
योग	5,669.25	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	(-)10.04

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में ₹1,467.70 करोड़ (25.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2016-17 में ₹5,669.25 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹7,136.95 करोड़ हो गई। करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान 10.04 प्रतिशत (₹796.82 करोड़) की कमी मुख्य रूप से गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग के तहत नीलाम किए गए कोयला ब्लॉक की प्राप्तियों में ₹657.24 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों में ₹142.64 करोड़ की कमी के कारण हुई।

2.3.3.4 केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 से करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

वर्ष 2016-21 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	0.00	291.44	5,789.33	5,733.71	6,068.90
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0.00	2,094.36	462.00	0.00	0.00
निगम कर	6,019.53	6,352.98	8,157.09	6,889.42	6,117.65
निगम कर से भिन्न आय पर कर	4,183.59	5,364.62	6,007.35	5,398.34	6,269.51
सीमा शुल्क	2,589.37	2,093.70	1,662.66	1,280.78	1,097.20
संघ उत्पाद शुल्क	2,956.84	2,188.50	1,104.93	890.49	686.04
सेवा कर	3,045.99	2,369.40	217.76	0.00	84.52
अन्य कर	13.84	(-)0.19	57.57	13.10	13.72
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	18,809.16	20,754.81	23,458.69	20,205.84	20,337.54
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	19.68	10.34	13.03	(-)13.87	0.65
राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का हिस्सा	35.04	34.80	36.04	31.64	32.19

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2016-21 में, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2016-17 में ₹18,809.16 करोड़ से 8.13 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹20,337.54 करोड़ हो गया। केन्द्रीय कर हस्तान्तरण की वृद्धि दर जो 2016-19 के दौरान 10 प्रतिशत से अधिक थी, वर्ष 2019-20 के दौरान नकारात्मक हो गई और वर्ष 2020-21 के दौरान एक प्रतिशत से भी कम रही। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय कर हस्तान्तरण में ₹131.70 करोड़ (0.65 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर (₹871.17 करोड़) तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹335.19 करोड़) के कारण हुई। जबकि, वर्ष 2020-21 के दौरान निगम कर और सीमा शुल्क में क्रमशः ₹771.77 करोड़ और ₹183.58 करोड़ की कमी आई।

2.3.3.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आयोजनेत्तर अनुदान	2,013.42	#			
राज्य योजना स्कीम के लिये अनुदानों	7,785.03				
केन्द्र योजना स्कीम के लिये अनुदानों (केन्द्र प्रवर्तित योजना स्कीम सहित)	463.18				
केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदान	#	9,275.76	8,214.77	7,808.24	6,975.55
वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान		1,460.23	1,679.48	2,044.75	2,286.50
अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान		1,921.17	2,611.70	3,758.25	3,547.44
योग	8,061.59	12,657.16	12,505.95	13,611.24	12,812.49
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	27.29	23.34	(-1.19)	8.84	(-5.87)
राजस्व प्राप्तियाँ	53,685.25	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18
राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	19.11	21.22	19.21	21.31	20.28

आंकड़े उपलब्ध नहीं क्योंकि आयोजना एवं आयोजनेत्तर नामवली को वर्ष 2017-18 से विलोपित कर केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुदानों, वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदानों से प्रतिस्थापित किया गया।

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण राजस्व प्राप्तियों का 20 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान राज्य को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान (₹6,975.55 करोड़) कुल अनुदान का 54 प्रतिशत रहा। राज्य को वित्त आयोग अनुदान (₹2,289.50 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि के लिये प्रदान किया गया जो कि वर्ष के दौरान कुल अनुदान का 18 प्रतिशत रहा। भारत सरकार से राज्य को अन्य अनुदान (₹3547.44 करोड़) में ₹3212.16 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति शामिल है जो अन्य हस्तांतरण/अनुदान का 90.54 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹798.75 करोड़ (5.87 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से समग्र शिक्षा योजना (प्राथमिक शिक्षा), प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों पर सड़क संपर्क परियोजना के लिए कार्यक्रम निधि की प्राप्तियों में कमी के कारण हुई। इसके अलावा, राज्य शासन को ऋण प्राप्त के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त हुआ जो अन्यथा भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में हस्तांतरण होता।

2.3.3.6 पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान प्रदान किए गए। वर्ष 2020-21 के दौरान इस संबंध में भारत सरकार से राज्य शासन को प्रदत्त अनुदान का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा वास्तविक प्रदाय	अंतर
	2020-21	2020-21	2020-21
स्थानीय निकाय			
1 पंचायती राज संस्थानों को अनुदान			
(अ) मूल अनुदान (सहायता अनुदान-सामान्य)	1,454.00	1,454.00	0.00

2. शहरी स्थानीय निकायों की अनुदान			
(अ) मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	214.00	160.50	(-)53.50
(ब) नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	486.00	243.00	(-)243.00
स्थानीय निकायों का कुल	2,154.00	1,857.50	(-)296.50
राज्य आपदा राहत निधि	432.00	432.00	0.00
महायोग	2,586.00	2,289.50	(-)296.50

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 तथा पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

- मार्च 2021 तक राज्य शासन ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में पंचायती राज संस्थानों (₹1,454.00 करोड़) के लिये संपूर्ण मूल अनुदान प्राप्त किया।
- राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 के दौरान नॉन-मिलियन प्लस शहरों, मिलियन प्लस शहरों और प्राथमिक अनुदान के लिए ₹2,154.00 करोड़ की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के विरुद्ध शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹1,857.50 करोड़ प्राप्त किया।
- राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में राज्य आपदा राहत निधि (₹432.00 करोड़) के लिये संघ का पूरा हिस्सा प्राप्त किया।

2.3.3.7 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजी प्राप्तियाँ शामिल हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से प्राप्तियाँ।

निम्न तालिका में पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि और संरचना की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 2.10: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	2.37	3.32	5.26	4.70	4.85
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	172.99	138.59	162.32	256.78	104.80
अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	0.38	1.24	0.56	0.13	(-)0.67
(अ) गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	175.74	143.15	168.14	261.61	108.98
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)41.37	(-)18.54	17.46	55.59	(-)58.34
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	5,098.40	9,187.89	13,816.66	19,308.36	17,961.37
आंतरिक ऋण का वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.25	80.21	50.38	39.75	(-)6.98
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)	381.53	464.55	553.44	279.17	3,620.31
(ब) लोक ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	5,479.93	9,652.44	14,370.10	19,587.53	21,581.68
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)	5,655.67	9,795.59	14,538.24	19,849.14	21,690.66
पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)24.43	76.14	48.88	36.31	10.18
वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.42	9.23	10.95	8.26	1.54
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)25.10	73.2	48.42	36.53	9.28

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2016-17 में ₹5,655.67 करोड़ थी जिसमें वर्ष 2020-21 में 283.52 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर ₹21,690.66 करोड़ हो गई। वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों में ₹1,841.52

करोड़ (9.28 प्रतिशत) की वृद्धि का मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियों में ₹1,994.15 करोड़ (10.18 प्रतिशत) की वृद्धि जो ₹13,000 करोड़ के बाजार ऋण (लोक ऋण का 60.23 प्रतिशत) तथा केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम के तहत शामिल जीएसटी की कमी के बदले बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) के कारण हुई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व स्रोत शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के आंकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और करेत्तर राजस्व का विवरण तालिका 2.11 में दिए गए हैं।

तालिका 2.11: कर और करेत्तर प्राप्तियाँ के सापेक्ष अनुमान

	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान (₹ करोड़ में)	बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	वास्तविक (₹ करोड़ में)	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन	
				बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान
स्वयं के कर राजस्व	31,784.00	26,155.00	22,889.20	(-12.49)	(-27.99)
करेत्तर राजस्व	8,477.00	9,215.00	7,136.95	(-22.55)	15.81
योग	40,261.00	35,370.00	30,026.15	(-15.11)	(-25.42)

स्रोत: वित्त लेख, बजट बुक तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन पंद्रहवें वित्त आयोग के अपेक्षाओं को पूरा करने में 25.42 प्रतिशत और अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध अपने संसाधनों को जुटाने में 15.11 प्रतिशत कम थी। स्वयं के कर राजस्व में कमी (₹3,265.80 करोड़) मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में ₹2,775.91 करोड़ कम राज्य जीएसटी संग्रह के कारण थी। इसी प्रकार, करेत्तर राजस्व में ₹2,078.05 करोड़ की बजट अनुमानों के विरुद्ध कमी मुख्य रूप से गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग (₹1,131.51 करोड़) के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण थी।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य शासन को राजकोषीय जिम्मेदारी विधायी के ढांचे के भीतर व्यय का उत्तरदायित्व निहित है, जबकि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया पूँजीगत अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर न हो।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना और सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: कुल व्यय और इसकी संरचना

मापदंड	(₹ करोड़ में)				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय	57,908.26	66,600.54	73,555.31	82,099.86	79,107.54
राजस्व व्यय	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84
पूँजीगत व्यय	9,470.51	10,000.96	8,903.45	8,566.39	9,024.19
ऋण एवं अग्रिम	273.15	369.83	240.69	56.16	50.51


सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर	2,62,801	2,82,283	3,18,101	3,44,955	3,50,270
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.04	23.59	23.12	23.80	22.58
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.33	19.92	20.25	21.30	19.99
पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.60	3.54	2.80	2.48	2.58
ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.10	0.13	0.08	0.02	0.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2016-17 में राज्य का कुल व्यय ₹57,908.26 करोड़ से 36.61 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹79,107.54 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-20 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाने वाले कुल व्यय में वर्ष 2020-21 के दौरान गिरावट आई। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 3.64 प्रतिशत की कमी मुख्य रूप से राजस्व व्यय में ₹3,444.47 करोड़ (4.69 प्रतिशत) की कमी के कारण हुई। वर्ष 2016-21 के दौरान कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22.04 से 23.80 प्रतिशत के मध्य रहा। चार्ट 2.7 कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.7: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है, पूँजीगत व्यय में 2017-20 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई गई है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय वर्ष 2019-20 में ₹8,566.39 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹9,024.19 करोड़ हो गया।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय (परिशिष्ट 2.1 देखें) ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा और अन्य सहित सामान्य सेवाओं पर किये गये व्यय शामिल है। इन घटकों के सापेक्ष व्यय को तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवायें	11,683.77	13,373.74	15,535.80	19,289.82	20,095.21
सामाजिक सेवायें	23,972.80	27,116.57	25,319.17	28,610.12	28,001.32
आर्थिक सेवायें	21,100.70	24,744.50	31,804.93	33,079.55	29,885.69
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण एवं अग्रिम)	1,150.99	1,365.73	895.41	1,120.37	1,125.32
योग	57,908.26	66,600.54	73,555.31	82,099.86	79,107.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- सामान्य सेवाओं पर व्यय ₹805.39 करोड़ (4.18 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2019–20 में ₹19,289.82 करोड़ से वर्ष 2020–21 में ₹20,095.21 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण परिभाषित पेंशन अंशदान योजना (₹497.81 करोड़) में सरकारी अंशदान और ब्याज भुगतान (₹663 करोड़) पर व्यय में वृद्धि होना है।
- पिछले वर्ष की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में कमी मुख्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान (₹516.31 करोड़) और आदिवासी उपयोजना (₹1,065.81 करोड़) पर प्रमुख शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा (₹1,772.81 करोड़) के तहत व्यय में कमी के कारण आई।
- पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक सेवाओं में व्यय में कमी मुख्य रूप से सब्सिडी पर व्यय में ₹4,170.10 करोड़ की कमी के कारण हुई जो कि मुख्य रूप से अल्पावधि कृषि ऋण माफी योजना (₹2,022.25 करोड़), मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹867.44 करोड़), चीनी वितरण योजना (₹222.03 करोड़) के तहत सब्सिडी में कमी के कारण हुई।

चार्ट 2.8: कुल व्यय-गतिविधियों द्वारा व्यय

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.2 राजस्व व्यय

पूर्व के दायित्वों के भुगतान एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार यह राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा तंत्र की किसी भी तरह से वृद्धि नहीं करता है।

कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय और इसकी कुल व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उत्प्लावकता एवं राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख तालिका 2.14 एवं वर्ष 2020–21 का राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय-मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय	57,968.26	66,600.55	73,555.31	82,099.86	79,107.54
राजस्व व्यय	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.21	16.74	14.55	14.08	(-)4.69
राजस्व व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	83.09	84.43	87.57	89.50	88.53
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.32	19.92	20.25	21.30	19.99
राजस्व प्राप्तियों	53,685.25	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.53	11.11	9.13	(-1.88)	(-1.08)
राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	89.72	94.27	98.95	115.04	110.85
राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	0.61	2.26	1.15	1.67	(-3.05)
राजस्व प्राप्तियों से	0.62	1.51	1.59	(-7.49)	4.34


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय वर्ष 2016-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय का 83.09 प्रतिशत से 89.50 प्रतिशत तक रहा। राज्य के राजस्व व्यय की वृद्धि दर में 2017-18 से 2020-21 के दौरान घटती प्रवृत्ति दिखाई दी। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय में कमी मुख्य रूप से सब्सिडी में वर्ष 2019-20 में ₹11,483.23 करोड़ से वर्ष 2020-21 में ₹7,307.94 करोड़ की कमी के कारण हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 21.30 प्रतिशत से घटकर 19.99 प्रतिशत हो गया। जैसा कि तालिका 2.1.4 से देखा जा सकता है, राजस्व उत्प्लावकता अनुपात जो वर्ष 2019-20 में 1.67 था, वर्ष 2020-21 में राजस्व व्यय की घटती वृद्धि दर के कारण घटकर (-)3.05 हो गया।

राजस्व व्यय का क्षेत्रीय वितरण चार्ट 2.9 में दिया गया है।

चार्ट 2.9: वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.15 में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	अंतर	वृद्धि (+)/कमी (-) का प्रतिशत
कमी				
2435-अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रम	2,729.30	13.73	(-)2,715.57	(-)99.50
2425-सहकारी	2,430.15	176.33	(-)2,253.82	(-)92.74

2202—सामान्य शिक्षा	15,736.87	13,964.06	(-)1,772.81	(-)11.27
2408—खाद्य भंडारण एवं भंडारगृह	5,735.40	4,311.02	(-)1,424.38	(-)24.83
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,875.21	2,453.72	(-)421.49	(-)14.66
2216—गृह निर्माण	674.65	284.29	(-)390.36	(-)57.86
वृद्धि				
2401—फसल एवं कृषि कर्म	2,239.15	7,519.38	5,280.23	235.81
2049—ब्याज भुगतान	4,970.33	5,633.11	662.72	13.33
2071—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति	6,637.98	7,135.79	497.81	7.50
2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	4,049.05	4,924.27	875.22	21.62

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में उल्लेखनीय रूप से गिरावट मुख्य रूप से अल्पावधि कृषि ऋण माफी योजना, लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना, ऋण सहकारी समितियों को सहायता के सब्सिडी में कमी, सर्व शिक्षा अभियान, आदिवासी उप-योजना, खाद्य सब्सिडी, ग्राम पंचायतों को सहायता में व्यय में कमी के कारण हुई। इसके अलावा, व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, बाजार ऋण पर ब्याज और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हुई थी।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान और पेंशन पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

तालिका 2.16 वर्ष 2016—21 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)


प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016—17	2017—18	2018—19	2019—20	2020—21
वेतन एवं मजदूरी	11,424	13,184	17,808	21,764	22,002
पेंशन पर व्यय	3,487	3,898	5,429	6,638	7,136
ब्याज भुगतान	2,687	3,098	3,653	4,971	5,633
योग	17,598	20,180	26,890	33,373	34,771
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	21.28	22.10	27.36	34.08	34.83
पेंशन पर व्यय	6.50	6.54	8.34	10.39	11.30
ब्याज भुगतान	5.01	5.19	5.61	7.78	8.92
योग	32.78	33.83	41.31	52.25	55.05
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	23.72	23.45	27.65	29.62	31.41
पेंशन पर व्यय	7.24	6.93	8.43	9.03	10.19
ब्याज भुगतान	5.58	5.51	5.67	6.77	8.04
योग	36.54	35.89	41.75	45.42	49.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2016-17 में ₹17,598 करोड़ (राजस्व व्यय का 36.54 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹34,771 करोड़ (राजस्व व्यय का 49.64 प्रतिशत) हो गया है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान लोक ऋण में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष 2016-17 की तुलना में ब्याज भुगतान में वृद्धि (109.63 प्रतिशत) हुई है। राज्य का ब्याज और पेंशन भुगतान व्यय पिछले पांच वर्षों के दौरान दोगुना हो गया है।

वर्ष 2016-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के लिए प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि ऊपर चार्ट 2.10 से देखा जा सकता है, प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व व्यय का 36.54 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का 32.78 प्रतिशत था जो कि बढ़कर कुल राजस्व व्यय का 49.64 प्रतिशत और कुल राजस्व प्राप्तियों का 55.05 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता

वर्ष 2020-21 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹7,135.78 करोड़ था, जिसमें से 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गये कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) में ₹1,129.00 करोड़ व्यय किए गए थे।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार कर्मचारी अपना मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिविलियन डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) / न्यासी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 की अवधि के अंशदान का बकाया राशि के साथ माह मार्च 2016 से कर्मचारियों के अंशदानों के कटौती राशि के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा राशियों-(117) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत प्राप्तियाँ

₹1,139.59² करोड़ थी, जिसमें से ₹1,133.25 करोड़ एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप राशि का कम हस्तांतरण अर्थात् ₹6.34 करोड़ था, जो कि लोक लेखा में रखा गया था। इसके अलावा, कर्मचारी के ₹1,133.84 करोड़ के अंशदान के प्रति राज्य सरकार ने केवल ₹1,129.00 करोड़ का अंशदान किया। पेंशन योजना के परिभाषित अंशदान में ₹4.84 करोड़ के कम योगदान के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे को कम बताया गया।

31 मार्च 2021 की स्थिति में एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक ₹32.17 करोड़ का हस्तांतरण लंबित रहते हुए लोक लेखों में पड़ी रही। ₹4.84 करोड़ के कम अंशदान और ₹32.17 करोड़ के गैर-हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप राज्य शासन को ₹37.01 करोड़ की परिहार्य देयता का अनावश्यक सृजन हुआ और उस सीमा तक कर्मचारियों के देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा हुई।

इसके अलावा, सरकार ब्याज वाली जमाराशियों के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य शासन पर 1 अप्रैल 2021 तक ₹25.83 करोड़ के अहस्तांतरित शेष राशि पर ₹1.83³ करोड़ के ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है, जिसका भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

2.4.2.4 सब्सिडी

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹7,307.94 करोड़ का भुगतान किया। वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी का विवरण तालिका 2.17 में दिखाया गया है।

तालिका 2.17: वर्ष 2016-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	4,189.14	5,004.69	8,323.01	11,483.23	7,307.94
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	7.80	8.39	12.79	17.98	11.57
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	8.70	8.90	12.92	15.63	10.44

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

सब्सिडी पर व्यय वर्ष 2016-17 में ₹4,189.14 करोड़ से ₹7,294.09 करोड़ (174.12 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹11,483.23 करोड़ हो गया। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान घटकर ₹7,307.94 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में ₹4,175.29 करोड़ (36.36 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना (₹2,022.25 करोड़), मुख्य मंत्री खाद्य सहायता योजना (₹867.44 करोड़), लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना (₹694.57 करोड़), और चीनी वितरण योजना (₹222.03 करोड़) की सब्सिडी में कमी के कारण हुई।

2.4.2.5 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान एवं ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 2.18 में प्रस्तुत की गई है।

² ₹1,133.84 करोड़ कर्मचारियों के योगदान से संबंधित है और ₹5.75 करोड़ प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी और नियोक्ता योगदान से संबंधित है, जिसमें से ₹1,130.76 करोड़ कर्मचारियों के योगदान से संबंधित है और ₹2.49 करोड़ कर्मचारी और नियोक्ता के योगदान से संबंधित है जो 2020-21 के दौरान एनएसडीएल में स्थानांतरित प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के योगदान से संबंधित है।

³ सरकार द्वारा अधिसूचित/सामान्य भविष्य निधि को देय ब्याज दर के अनुसार

तालिका 2.18: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिका	3,234.45	3,425.75	2,778.73	3,138.94	3,554.17
पंचायती राज संस्थान	8,899.54	10,899.36	6,905.17	6,006.83	4,421.79
योग (अ)	12,133.99	14,325.11	9,683.90	9,145.77	7,975.96
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	218.9	235.45	170.44	273.67	204.97
विकास प्राधिकरण	262.27	287.03	271.41	235.06	229.93
सहकारी एवं अन्य संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन	7,057.47	10,155.72	13,255.70	10,499.70	12,555.37
योग (ब)	7,538.64	10,638.20	13,697.55	11,008.43	12,990.27
योग (अ+ब)	19,672.63	24,963.31	23,381.45	20,154.20	20,966.23
राजस्व व्यय	48,164.60	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84
राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	40.84	44.40	36.30	27.43	29.94


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अधोसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2016-21 के दौरान पूँजीगत व्यय का विवरण का चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राज्य पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूँजीगत व्यय में 5.34 प्रतिशत (₹457.80 करोड़) की वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन योजना और जवाहर सेतु योजना में व्यय में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय (₹9,024.19 करोड़) का 37 प्रतिशत सड़कों और पुलों (₹3,351.28 करोड़) पर और उसके बाद 10 प्रतिशत जलापूर्ति और स्वच्छता (₹907.93 करोड़) पर खर्च किया गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.19 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मामलो पर प्रकाश डालती है।

तालिका 2.19: वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

लेखे के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	अंतर	वृद्धि (+)/कमी(-) का प्रतिशत
वृद्धि				
4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	375.18	907.93	532.75	142.00
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	148.85	400.11	251.26	168.80
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	361.82	511.71	149.89	41.43
4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	315.32	415.91	100.59	31.90
4225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	230.46	358.30	127.84	55.47
कमी				
5054-सड़क एवं पूल पर पूँजीगत परिव्यय	3,928.86	3,351.28	(-)577.58	(-)14.70
5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	250.00	70.00	(-)180.00	(-)72.00
4515- अन्य ग्रामीण विकास पर पूँजीगत परिव्यय	505.19	350.57	(-)154.62	(-)30.61

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2019-20 एवं 2020-21

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि जलापूर्ति एवं स्वच्छता एवं लोक निर्माण पर व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से *जल जीवन मिशन*, *जवाहर सेतु योजना*, अधोसंरचना विकास निधि एवं पर्यावरण निधि के अंतर्गत निर्माण, राजभवन के निर्माण आदि के व्यय में वृद्धि के कारण हुई है।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग 31 मार्च 2021 तक शासन द्वारा किए गए निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.4.3.2.1 कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कम्पनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गयी हो उसका वहन नहीं किया जा सकता।

कंपनियों (जैसे डिस्कोम), निगमों (जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्तीय निगम) और सहकारी समितियों (जैसे शक्कर कारखाना) को दिए गए निवेश और ऋण, जो घाटे में चल रहे हैं और जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है वह पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई शेर्य पूँजी का निवेश का प्रतिफल विभिन्न निकायों को दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे अर्थात्, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, निवेश पर प्रतिफल की दर, निवल संपत्ति का क्षरण, लाभांश भुगतान, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आदि रिपोर्ट के अध्याय 5 में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.4.3.2.2 निवेश और प्रतिफल

वित्त लेखा वर्ष 2020–21 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 10 सांविधिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 22 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,460 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों में 31 मार्च 2021 तक ₹7,261.30 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने वर्ष 2020–21 के दौरान इन निवेशों पर ₹2.29 करोड़ की वापसी अर्जित की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 की अवधि में निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2.20: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	35.90(02)	37.82(02)	86.92(10)	87.88(10)	88.34(10)
सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	6,459.45(13)	6,459.45(13)	6,683.34(28)	6,683.34(28)	6,683.34(28)
संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	57.60(04)	144.80(05)	145.21(22)	145.21(22)	145.21(22)
ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	24.31(01)	25.15(01)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)
सहकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकाय (ईकाइयों की संख्या)	201.34(1523)	199.15(1523)	327.42(1523)	324.21(1460)	319.26(1460)
कुल निवेश	6,778.60	6,866.37	7,268.05	7,265.79	7,261.30
वर्ष के अन्त में निवेश	6,778.60	6,866.37	7,268.05	7,265.79	7,261.30
निवेश पर प्रतिफल	0.55	4.80	1.49	2.39	2.29
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.01	0.07	0.02	0.03	0.03
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.62	6.38	6.10	6.83	6.57
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	6.61	6.31	6.08	6.80	6.54
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	448.07	433.27	442.15	493.86	474.89
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं					

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020–21 के दौरान निवेश पर प्रतिफल 2.29 करोड़ (0.03 प्रतिशत) था। जबकि राज्य शासन ने इसी अवधि के दौरान अपने उधार पर 6.57 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। निवेश के लिए उधार ली गई धनराशि का निरंतर उपयोग जिसमें पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नहीं है, एक अस्थिर वित्तीय स्थिति का कारण बनेगा।

2.4.3.2.3 राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य शासन ने कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं। तालिका 2.21 31 मार्च 2021 के स्थिति में विगत पाँच वर्ष 2016–17 से वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ-साथ ब्याज प्राप्तियों के विरुद्ध ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.21: वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान ऋणों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित एवं वसूली ऋणों की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	1,273.96	941.98	1,519.63	1,597.75	1,397.08
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	272.71	368.76	240.44	56.11	50.50
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	172.99	138.59	162.32	256.78	104.80
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	1,373.69	1,172.16	1,597.75	1,397.08	1,342.78
निवल वृद्धि	99.72	230.17	78.12	(-)200.67	(-)54.30
ब्याज प्राप्तियाँ	30.19	27.61	28.32	1.67	6.88
शासन द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का ब्याज दर	2.28	2.36	1.77	0.12	0.51
शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज का दर	6.62	6.38	6.10	6.83	6.57
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत)	(-)4.34	(-)4.02	(-)4.33	(-)6.71	(-)6.06

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दिए गए ऋण के संवितरण में कमी थी। मार्च 2021 के अंत में शासन के पास ₹1,342.78 करोड़ के बकाया ऋण और अग्रिम थे, जिसमें से ₹286.02 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं, ₹381.93 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित हैं और ₹392.52 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, शासन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित चीनी मिलों को ऋण और अग्रिम का भुगतान किया गया, जिनके विरुद्ध पूर्व से ही ऋणों की अदायगी बकाया है।

तालिका 2.22: वर्ष 2020-21 के दौरान चीनी मिलों को दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

नाम	पिछले बकाया ऋणों का वर्ष	1 अप्रैल 2020 तक बकाया मूलधन की राशि	इस वर्ष के दौरान ऋण की राशि	इस वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	कुल बकाया राशि
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी मिल लिमिटेड	2017-18	82.00	13.00	0.00	95.00
भोरमदेव सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2016-17	74.00	13.00	10.00	77.00
महामाया सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2010-11	89.67	24.00	10.00	103.67

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में पूँजी अवरुद्ध

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी के प्रवृत्ति का आंकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों को अवरुद्ध नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार लिया गया धन ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ की ओर ले जाती है।

31 मार्च 2021 को या उससे पहले ₹10 करोड़ और उससे अधिक की अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.23 में दिया गया है।

तालिका 2.23: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	अपूर्ण परियोजनाएँ				31 मार्च 2021 को 149 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय
			51 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत जिसे संशोधित किया गया		51 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् 51 अपूर्ण परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत	
			क्र.	राशि			
लोक निर्माण	15	516.68	02	151.60	551.20	399.60	586.89
जल संसाधन	134	3,927.48	49	1,766.61	3,670.42	1,903.81	4,883.49
योग	149	4,444.16	51	1,918.21	4,221.62	2,303.41	5,470.38

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

परियोजना के कामों को पूरा करने में विलंब से लागत में वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। चूंकि राज्य शासन ने 98 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था, इसलिए राज्य द्वारा व्यय किए जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि सुनिश्चित नहीं किया जा सकता और इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलंब के कारण परियोजनाओं से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी में कुल व्यय का सकल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आबंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है तो इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.24 में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूँजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	टीई / स.रा.घ.उ.	एसएसई / टीई	ईएसई / टीई	डीई / टीई	सीई / टीई	शिक्षा / टीई	स्वास्थ्य / टीई
औसत (अनुपात) 2016-17							
सामान्य श्रेणी राज्य [#]	17.12	35.81	35.16	70.97	19.77	14.93	5.49
छत्तीसगढ़	22.03	41.40	36.44	77.84	16.83	19.89	5.69
औसत (अनुपात) 2020-21							
सामान्य श्रेणी राज्य [#]	16.18	37.81	28.48	66.29	13.03	15.00	6.74
छत्तीसगढ़	22.58	35.40	37.78	73.18	11.47	18.39	7.19
टीई: कुल व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई-विकास व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय, विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। [#] पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य							

स्रोत : आर्थिक सलाहकार से प्राप्त आंकड़े

जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य शासन द्वारा सामान्य रूप से पूँजीगत व्यय को आबंटित प्राथमिकता सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम रही है, सामाजिक व्यय और विकास व्यय पर परिव्यय के मामले में, विशेष

रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा पर, राज्य सामान्य श्रेणी के राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया। सामाजिक व्यय पर, परिव्यय को छोड़कर, सामान्य श्रेणी के राज्यों की प्रासंगिक अनुपात वर्ष 2020-21 में भी उसी प्रवृत्ति में जारी रहा, जिसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना छत्तीसगढ़ में कमी देखी गई है।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष तक के लेन-देन को दर्शाते हैं। इसलिए उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक ड्रिल डाउन व्यू नीचे तालिका 2.25 में दी गई है।

तालिका 2.25: बजट आबंटन के विरुद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है)
(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
14-सहायता अनुदान	28,574.16	20,975.25	73.41
01-वेतन एवं भत्ते	24,881.01	20,742.54	83.37
13-वित्तीय सहायता	8,078.20	7,307.93	90.46
12-पेंशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	6,681.33	7,114.99	106.49
97-निर्माण कार्य	5,767.38	3,283.79	56.94
35-ब्याज/ऋण का पुनर्भुगतान	6,616.78	5,853.90	88.47
26-वृहद निर्माण कार्य	5,059.94	3,260.61	64.44
45-पूँजीगत परि-संपत्तियों का निर्माण	2,922.19	1,837.67	62.89
25-सामग्री और पूर्तियाँ	3,551.87	2,800.51	78.85
37-अंतः लेखा अन्तरण	2,165.32	1,344.34	62.09
योग	94,298.18	74,521.53	79.03

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2020-21

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 10 उद्देश्य शीर्षों के तहत ₹94,298.18 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय केवल ₹74,521.53 करोड़ (79.03 प्रतिशत) था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन-देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं उन्हें, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 शुद्ध लोक लेखा

लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। मार्च 2021 के समाप्त तक राज्य के लोक लेखे में घटक-वार शुद्ध शेष नीचे दी गई तालिका 2.26 में दिए गए हैं।

तालिका 2.26: 31 मार्च 2021 तक लोक लेखे अंतर्गत घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
झ-अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखें	426.96	640.61	754.51	785.26	403.73
त्र-आरक्षित निधियां	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	323.40	(-)517.65	197.87	701.07	(-)813.13
	(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	316.40	39.72	(-)33.08	5,155.13	296.75
ट-जमा तथा अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा	(-)1.74	(-)21.02	(-)6.79	(-)5.62	(-)4.13
	(ख) बिना ब्याज वाली जमा	552.40	141.79	(-)224.60	(-)518.43	505.95
	(ग) अग्रिमों	0.02	0.18	0.00	(-)0.09	0.00
ठ-उचंचत तथा विविध	(क) उचंचत	37.53	(-)72.83	(-)21.28	(-)6.30	(-)9.58
	(ख) अन्य लेखे	(-)159.01	22.10	1.70	(-)0.96	(-)2.75
	(ग) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड-प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	67.54	54.39	(-)126.73	93.41	(-)36.49
	(ख) अर्त-सरकार समायोजन लेखे	(-)18.40	16.53	4.30	(-)12.62	(-)14.59
योग		1,545.10	303.82	545.90	6,190.85	325.76

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

संबंधित वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखे में घटकवार निवल शेष वर्ष 2016-17 में ₹1,545.10 करोड़ से घटकर वर्ष 2020-21 में ₹325.76 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के तुलना में 2020-21 में लोक लेखे में निवल राशि ₹5,865.10 करोड़ की कमी मुख्य रूप से बिना ब्याज आरक्षित निधि में ₹5,184.58 करोड़ की कमी के कारण हुई।

2.5.2 आरक्षित निधि

आरक्षित निधि राज्य शासन के लोक लेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। इन निधियों की पूर्ति राज्य के समेकित निधि से योगदान या अनुदान से की जाती है।

विशिष्ट उद्देश्य के लिए वर्ष 2000-2001 (राज्य के गठन से) से 17 आरक्षित निधि रख गई थी, जिसमें से 31 मार्च 2021 की स्थिति में 14 निधि संचालित थीं और तीन निधि असंचालित थी। इन निधियों में 31 मार्च 2021 के अंत में कुल संचित शेष राशि ₹9,180.67 करोड़ थी (संचालित निधि में ₹9,180.57 करोड़ और असंचालित निधि में ₹0.10 करोड़), जिसमें से ₹7,181.07 करोड़ (78.22 प्रतिशत) का निवेश किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने के लिए आरक्षित निधि, "ग्रामीण विकास निधि" का गठन 2001-02 में किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹23.02 करोड़ निधि में स्थानांतरित कर दिया गया था और 31 मार्च 2021 तक निधि का संचयी ₹288.68 करोड़ था लेकिन इसकी स्थापना के बाद से इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण और संवितरण, डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से समेकित निधि के तहत उपयुक्त राजस्व और व्यय शीर्षों से प्रभावित होते हैं। ये वास्तविक नकदी हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व केवल तभी करते हैं जब वे रिजर्व बैंक डिपॉजिट को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं।

चूंकि कोई वास्तविक नकदी बहिर्वाह नहीं था, इसलिए आरक्षित निधि के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दर्शाए गए ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं, जो आरक्षित निधि के निर्माण और संचालन में अंतर्निहित भावना का उल्लंघन करते हैं।

2.5.3 संचित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंको से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया देनदारियों का 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹393.56 करोड़ (31 मार्च 2020 तक ₹78,712.46 करोड़ का बकाया देयता का 0.50 प्रतिशत) संचित निक्षेप निधि में हस्तांतरित करना था, जिसके विरुद्ध केवल ₹275.00 करोड़ (वर्ष की शुरुआत में ₹78,712.46 करोड़ का बकाया देयता का 0.35 प्रतिशत) स्थानांतरित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹118.56 करोड़ का कम अंशदान हुआ। 31 मार्च 2021 तक निधि में ₹2,586.94 करोड़ की राशि पड़ी थी और कुल राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी।

2.5.4 राज्य आपदा राहत निधि

राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य शासन को केंद्र सरकार के हिस्से की पूरी राशि और संबंधित राज्य के हिस्से को फंड में स्थानांतरित करना था। 01 अप्रैल 2021 तक राज्य आपदा राहत निधि के पास ₹491.88 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान राज्य शासन को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹345.60 करोड़ और ₹115.20 करोड़ का संबंधित राज्य का हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसे निधि में स्थानांतरित किया जाना था, लेकिन राज्य शासन ने केवल ₹230.40 करोड़ को निधि में स्थानांतरित किया (केंद्रीय हिस्सा – ₹172.80 करोड़ और राज्य का हिस्सा – ₹57.60 करोड़), जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कम बताया गया। इसके अलावा, राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 के दौरान निधि में ₹89.00 करोड़ (वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त केंद्रीय हिस्सा का ₹66.75 करोड़ और ₹22.25 करोड़ संबंधित राज्य का हिस्सा) भी हस्तांतरित किया। राज्य शासन ने वर्ष के दौरान निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर भी ₹717.50 करोड़ का व्यय किया। इस प्रकार, 31 मार्च 2021 तक राज्य आपदा राहत निधि के पास ₹103.11⁴ करोड़ का अंतिम शेष था।

इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) बनाने की सिफारिश की, जो जोखिम को कम करता है और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देता है। भारत सरकार और राज्य शासन को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य शासन को केन्द्रीय अंश के रूप में ₹86.40 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य शासन को ₹115.20 करोड़ एसडीएमएफ (₹86.40 करोड़ केंद्रीय हिस्से के साथ-साथ ₹28.80 करोड़ राज्य हिस्सा) को हस्तांतरित करना पड़ा। हालांकि, राज्य शासन ने केवल ₹57.60 करोड़ (₹43.20 करोड़ केन्द्रीय हिस्सा एवं ₹14.40 करोड़ राज्य हिस्सा) हस्तांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया। 31 मार्च 2021 तक राज्य आपदा शमन निधि के पास ₹57.60 करोड़ का अंतिम शेष था, जिसमें से ₹57.14

⁴ जिसमें ₹9.33 करोड़ का ट्रेजरी जमा शामिल है

करोड़ 91 दिन के ट्रेजरी बिल में निवेश किए गए हैं।

राज्य आपदा राहत निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.27 में दिया गया है।

तालिका 2.27: राज्य आपदा राहत निधि पर प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

		(₹ करोड़ में)
शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
01- सूखा		
101	अनुग्रहिक राहत	5.95
282	लोक स्वास्थ्य	32.74
02- बाढ़ चक्रवात आदि		
101	अनुग्रहिक राहत	18.33
106	क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुल के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना	0.96
110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु सहायता	0.11
111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	15.89
112	जनसंख्या का निष्क्रमण	22.87
113	मकानों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	28.84
114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता	7.45
116	कृषकों को क्षतिग्रस्त ट्यूब वेल एवं पम्पसेट की मरम्मत हेतु सहायता	0.01
117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	6.81
80-सामान्य		
101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	0.04
102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	60.19
800	अन्य व्यय	517.30
कुल राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत व्यय		717.49
05-आपदा राहत निधि		
901	घटाएँ-राज्य आपदा राहत निधि से प्रतिपूर्ति राशि	(-)717.50

स्रोत: वित्त लेखे

2.5.5 प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष की शुरुआत में बकाया गारंटी के 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना था। तदनुसार, राज्य शासन को वर्ष 2020-21 में प्रत्याभूति मोचन निधि बनाने और निधि में ₹99.18 करोड़ हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी। वित्त आयोग की सिफारिशों के विपरीत राज्य शासन ने प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित अधिकतम गारंटी "मध्यम और कम" जोखिम का था और राज्य के गठन के बाद राज्य शासन को दायित्व/भार स्थानांतरित करने के लिए किसी भी संस्था ने स्वीकृत गारंटियों के प्रति ऋण की चुकौती में चूक नहीं की थी।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने अधिनियम के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है।

2.6.1 ऋण घटक का रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थापय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

प्राप्त कुल ऋण, कर्ज की अदायगी, ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और पांच वर्ष की अवधि 2016–21 के दौरान राज्य को उपलब्ध ऋण की वास्तविक मात्रा का विवरण तालिका 2.28 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.28: ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण		2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21
बकाया समग्र ऋण		44,258.28	52,907.08	66,749.51	78,712.46	92,714.22
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	28,330.29	36,690.44	49,553.83	60,382.67	70,538.81
	भारत सरकार से ऋण	2,047.16	2,339.57	2,700.39	2,764.05	6,169.30
लोक लेखे की देयतायें		13,880.83	13,877.07	14,495.29	15,565.74	16,006.11
समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (जी) (प्रतिशत)		17.27	19.54	26.16	17.92	17.79
सकल राज्य घरेलू उत्पाद		2,62,801	2,82,283	3,18,101	3,44,955	3,50,270
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (जी) (प्रतिशत)		16.72	7.41	12.69	8.44	1.54
ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)		16.84	18.74	20.98	22.82	25.58 ⁵
कुल प्राप्त ऋण ⁶		11,803.64	15,851.32	20,736.52	31,921.72	33,423.87
कुल ऋण का पुनर्भुगतान		6,113.92	7,202.52	6,923.87	19,958.77	19,422.11
कुल उपलब्ध ऋण		5,689.72	8,648.80	13,812.65	11,962.95	14,001.76

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

ऊपर दिखाए गए बकाया समग्र ऋण की राशि में राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले प्रदान किया गया ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है। बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹89,605.22 करोड़ होगा। वर्ष 2020–21 के दौरान, ऋण अदायगी में मामूली कमी आई और कुल ऋण प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,502.15 करोड़ (4.71 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सभी पाँच वर्षों में बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से अधिक थी, हालांकि, अंतर (जी-जी) वर्ष 2020–21 के दौरान उच्चतम (16.25 प्रतिशत) था।


ऋण का घटक-वार विवरण नीचे चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

⁵ कुल बकाया ऋण (₹92,714.22 करोड़) से बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) की राशि को छोड़कर, कुल ऋण ₹89,605.22 पर ऋण जीएसडीपी अनुपात की गणना करोड़ की गई है।

⁶ लोक लेखा दायित्व सहित

चार्ट 2.12: वर्ष 2020-21 के अंत में बकाया समग्र ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)




स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2020-21

आंतरिक ऋण (₹70,538.81 करोड़), जो कि मुख्यतः राज्य विकास ऋण (एसडीएल) को जारी कर बाजार ऋण होता है, वह कुल बकाया ऋण का 76 प्रतिशत था।

चार्ट 2.13 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट 2.13: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2016-21 के दौरान, राज्य शासन के समग्र ऋण के तहत आंतरिक ऋण प्राप्तियां वर्ष 2016-17 में ₹5,098.40 करोड़ से 252 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2020-21 में ₹17,961.37 करोड़ हो गईं। राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 के दौरान अपनी आंतरिक ऋण प्राप्तियों का 43.45 प्रतिशत पिछले आंतरिक ऋण की अदायगी में उपयोग किया, परिणामस्वरूप केवल 56.55 प्रतिशत व्यय के लिए उपलब्ध था। यह उपलब्धता वर्ष 2019-20 में सबसे कम (56.08 प्रतिशत) और वर्ष 2018-19 में सबसे ज्यादा (93.1 प्रतिशत) थी।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) का राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों पर से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (आधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शेष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना तालिका 2.29 में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.29: राजकोषीय घाटे के घटक और उसके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजकोषीय घाटे की संरचना					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	5,520.65	3,417.32	683.76	(-)9,608.61	(-)6,856.66
शुद्ध पूंजीगत व्यय	(-)9,468.14	(-)9,997.64	(-)8,898.19	(-)8,561.69	(-)9,019.34
शुद्ध ऋण तथा अग्रिम	(-)99.78	(-)230.00	(-)77.80	200.75	53.62
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	(-)4,047.27	(-)6,810.32	(-)8,292.23	(-)17,969.55	(-)15,822.38
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप					
बाजार से लिए गए उधार	3,897.68	8,100.00	12,899.99	10,980.00	10,500.00
भारत सरकार से ऋण	211.57	292.41	360.82	63.66	3,405.25
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	(-)420.53	(-)431.13	(-)443.74	(-)455.88	(-)455.88
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबार्ड)	638.58	691.28	407.14	304.72	112.02
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	426.96	640.61	754.51	785.26	403.73
जमा तथा अग्रिम	550.68	120.95	(-)231.39	(-)524.14	501.82
उचत तथा विविध	(-)629.98	(-)1,611.16	(-)5,709.95	4,505.27	1,845.02
प्रेषण	49.14	70.92	(-)122.43	80.79	(-)51.08
अन्य	639.80	(-)765.14	60.40	814.16	(-)465.18
योग	5,363.90	7,108.74	7,975.35	16,553.84	15,795.70
कुल आधिक्य (+)/घाटा(-)	1,316.63	298.42	(-) 316.88	(-)1,415.71	(-)26.68
योग	4,047.27	6,810.32	8,292.23	17,969.55	15,822.38

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य शासन द्वारा उठाए गए बाजार ऋण ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से का वित्तपोषण जारी रखा और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 66.36 प्रतिशत रही।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण तालिका 2.30 में दिखाया गया है।

तालिका 2.30: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिए गए उधार	13,000.00	2,500.00	10,500.00
2	भारत सरकार से ऋण	3,620.31	215.06	3,405.25
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	455.88	(-)455.88
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	934.85	822.83	112.02
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,690.60	1,286.87	403.73
6	जमा तथा अग्रिम	4,094.42	3,592.60	501.82
7	उचत तथा विविध	1,39,629.30	1,37,784.28	1,845.02

8	प्रेषण	8,570.63	8,621.71	(-)-51.08
9	आरक्षित निधि	6,057.17	6,522.35	(-)-465.18
10	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00
11	कुल घाटा	1,77,597.28	1,61,801.58	15,795.70
12	रोकड़ शेष में वृद्धि/कमी	0.00	26.68	(-)-26.68
13	सकल राजकोषीय घाटा	1,77,597.28	1,61,774.90	15,822.38

स्रोत: वित्त लेखे

2.6.3 ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी


ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नीचे दी गई तालिका 2.31 और चार्ट 2.14 राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को दर्शाती है।

तालिका 2.31: राज्य ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	(₹ करोड़ में)
				प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
0 से 1	4,417.92	280.30	4,698.22	6.38
1 से 3	12,857.36	588.33	13,445.69	18.27
3 से 5	19,404.71	350.11	19,754.82	26.84
5 से 7	21,608.93	314.78	21,923.71	29.79
7 और उससे अधिक	12,053.29	1,239.54	13,292.83	18.06
अन्य ⁷	196.60	287.24	483.84	0.66
योग	70,538.81	3,060.30	73,599.11	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

चार्ट 2.14: ऋण परिपक्वता का रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 *में अन्य (₹483.84 करोड़) शामिल हैं जिसके लिए परिपक्वता वर्ष उपलब्ध नहीं है।

31 मार्च 2021 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 81.25 प्रतिशत भुगतान करना है।

⁷ परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

राजकोषीय देनदारियों को स्थिर माना जाता है यदि राज्य शासन निकट भविष्य के लिए इन देनदारियों के भंडार की अदायगी करने में सक्षम है और ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अप्रबंध्य अनुपातों तक नहीं बढ़ता है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान, वर्ष 2020-21 को छोड़कर, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात और ब्याज भुगतान का बोझ वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा से अधिक होता रहा, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

2.7.1 राजकोषीय घाटा और ऋण स्थिरता

राजकोषीय स्थिरता के संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण स्थिरता को परिभाषित किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्य शासन के लिए राजकोषीय समेकन के लिए सिफारिश की और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे और ऋण स्टॉक के लिए सीमाएं प्रदान कीं। पंद्रहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों के विरुद्ध ऋण स्टॉक की स्थिति तालिका 2.32 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.32: ऋण स्थिरता का विश्लेषण

वर्ष	राजकोषीय घाटा सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद		ऋण स्टॉक सापेक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	(प्रतिशत में)			
	14वें/15वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि	14वें/15वें वित्त आयोग का लक्ष्य	उपलब्धि
2016-17	3.50	1.54	15.50	16.84
2017-18	3.50	2.41	17.05	18.74
2018-19	3.50	2.61	18.40	20.98
2019-20	5.00	5.21	19.58	22.82
2020-21	5.00	4.53	28.10	25.58

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं 14वें/15वें वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन वर्ष 2016-21 के दौरान वित्तीय घाटे को वित्त आयोग के लक्ष्यों से कम रखने में सक्षम थी, केवल वर्ष 2019-20 को छोड़कर, जहां यह लक्ष्य से काफी अधिक था। ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी वर्ष 2016-20 के दौरान हासिल नहीं किया गया, हालांकि, इसे वर्ष 2020-21 के दौरान हासिल किया गया था।

ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (25.58 प्रतिशत) की गणना जीएसटी मुआवजे की कमी के बदले ₹3,109 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर, ₹89,605.22 करोड़ के कुल बकाया ऋण पर की गई है।

2.7.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी धारणीय/स्थिर नहीं है। तालिका 2.33 उधार ली गई निधियों के उपयोग और उपयोग की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

तालिका 2.33: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	कुल उधारियाँ ⁸	11,803.64	15,851.32	20,736.52	31,921.72	33,423.87
2	पूर्व उधारियों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	6,113.92	7,202.52	6,923.87	19,958.77	19,422.11
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	5,689.72	8,648.80	13,812.65	11,962.95	14,001.76
4	निवल पूँजीगत व्यय	(-)9,468.14	(-)9,997.64	(-)8,898.19	(-)8,561.69	(-)9,019.34
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)99.78	(-)230	(-)77.80	200.75	53.62
6	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ	निरंक	निरंक	निरंक	3,602.01	5,036.04
7	रोकड़ शेष	निरंक	निरंक	4,836.66	निरंक	निरंक

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि उधार ली गई धनराशि का 58 प्रतिशत पहले के उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया था और केवल 27 प्रतिशत का उपयोग वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय के लिए किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान उधार से राजस्व व्यय का वित्त पोषण ₹3,602.01 करोड़ (11.28 प्रतिशत) से बढ़कर ₹5,036.04 करोड़ (15.06 प्रतिशत) हो गया, जिससे ऋण और ब्याज देनदारियों के स्टॉक का निर्माण हुआ और शासन को अंततः पूँजीगत व्यय में कटौती करने के लिए मजबूर करता है। अतः भविष्य के ऋण भुगतानों के बारे में अधिक जागरूकता के साथ, सरकार यह सुनिश्चित करे कि जिन वर्षों में अधिकतम पुनर्भुगतान देय है, उन वर्षों में नए उधारों से ही भुगतान न करना पड़े।

2.7.3 प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएं

गारंटियां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां हैं जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत विधायिका द्वारा तैयार किया गया छत्तीसगढ़ राज्य शासन के गारंटी नियम 2003 के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में कुल बकाया गारंटी पिछले वर्ष में राज्य राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जैसा कि महालेखाकार की पुस्तक में है। राज्य शासन द्वारा पिछले पाँच वर्षों में गारंटी के लिए दिये गये अधिकतम राशि और बकाया गारंटी तालिका 2.34 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.34: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

गारंटी	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गारंटी की अधिकतम राशि	12,641.13	6,549.89	19,573.79	27,994.79	26,694.79
गारंटी की बकाया राशि	3,982.97	3,881.92	10,769.42	18,459.36	19,836.13

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

31 मार्च 2020 तक राज्य शासन ने विभिन्न संस्थाओं को ₹18,469.42 करोड़ के ऋण की गारंटी दी। वर्ष 2020-21 के दौरान, पुनः ₹3,260.78 करोड़ राशि की और गारंटी दी। वर्ष के दौरान ₹1,894.07 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जिससे मार्च 2021 के अंत में ₹19,836.13 करोड़ की गारंटी बकाया थी। गारंटी की बकाया राशि, राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों (₹63,176.18 करोड़) का 31.39 प्रतिशत थी। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹76.58 करोड़ की प्राप्त गारंटी शुल्क के विरुद्ध ₹74.58 करोड़ प्राप्त हुए तथा

⁸ लोक ऋण और अन्य लोक खाता देनदारियों सहित कुल उधारी

अटल नगर विकास प्राधिकरण को दी गई गारंटी के लिये गारंटी शुल्क (₹2.00 करोड़) प्राप्त नहीं हुई।

2.7.4 रोकड़ शेष की प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष नकद शेष को छोटी और लंबी अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049—ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य शासन बड़े पैमाने पर रोकड़ शेष होने के बावजूद बाजार ऋण के लिए सहारा लेती है और इसे उत्पादक उपयोग में लाए बिना रोकड़ शेष के आगे बढ़ने की संभावना है।

तालिका 2.35 वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा नकद शेष और इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.35: रोकड़ शेष की स्थिति

	(₹ करोड़ में)	
	01 अप्रैल 2020 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2021 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,094.99	(-)1,121.67
अन्य बैंक में जमा	0.00	0.00
मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
योग	(-)1,094.99	(-)1,121.67
"रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	5,246.81	3,389.68
योग (अ)	4,151.82	2,268.01
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	12.17	11.95
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,232.27	7,181.07
योग (ब)	7,244.78	7,193.36
योग (अ) तथा (ब)	11,396.60	9,461.37
अर्जित ब्याज	196.10	29.66

स्रोत : वित्त लेखे 2020-21

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन के रोकड़ शेष में वर्ष 2019-20 में ₹11,396.23 से वर्ष 2020-21 में ₹9,461.37 करोड़ होने पर ₹1,935.23 करोड़ की कमी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹0.72 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखना है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम समझौता राशि से कम हो जाता है, तो कमी को साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सहायता से अच्छा बनाया जाता है। जबकि राज्य शासन ने वर्ष 2020-21 के दौरान किसी भी तरह से अर्थोपाय अग्रिम का लाभ नहीं उठाया है, इसने भारतीय रिजर्व बैंक से ₹4,026.52 करोड़ रुपये की विशेष आहरण सुविधा का लाभ उठाया और वर्ष 2020-21 के दौरान इस संबंध में ₹1.06 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

पाँच वर्ष की अवधि 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश तालिका 2.36 में नीचे

दर्शाया गया है।

तालिका 2.36: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

वर्ष	रोकड़ शेष निवेश				लिया गया बाजार ऋण	अंतिम रोकड़ शेष
	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	अर्जित ब्याज		
2016-17	1,856.17	2,512.00	655.83	126.78	4,200.00	4,658.85
2017-18	2,512.00	4,070.85	1,558.85	140.20	8,100.00	6,804.91
2018-19	4,070.85	9,759.02	5,688.17	144.33	12,899.99	12,277.88
2019-20	9,759.02	5,246.81	(-)4,512.21	196.10	11,680.00	11,396.60
2020-21	5,246.81	3,389.68	(-)1,857.13	29.66	13,000.00	9,461.37

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अंतिम रोकड़ शेष की स्थिति वर्ष 2016-19 के दौरान ₹4,658.85 करोड़ से ₹12,277.88 करोड़ की बढ़ती प्रवृत्ति को इंगित करती है और मार्च 2021 तक यह घटकर ₹9,461.37 करोड़ हो गई। अधिशेष रोकड़ शेष भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों में निवेश किया गया था।

निवेश खाते में ₹3,389.68 करोड़ का अधिशेष नकद राशि मुख्य रूप से मार्च 2021 के महीने में ₹2,000 करोड़ के बाजार ऋण को बढ़ाने के कारण था। बड़े रोकड़ शेष का निर्माण राज्य शासन के लिए ब्याज लागत के बोझ को बढ़ाता है। राज्य शासन इसके साथ उपलब्ध अधिशेष रोकड़ शेष का उपयोग करके अपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में अपने राजस्व प्राप्ति में 1.08 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की। स्वयं के कर राजस्व में 3.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई और करेतर राजस्व में 10.04 प्रतिशत की कमी आई और बजटीय अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 52 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में 4.69 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 5.34 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय में गिरावट आई है।

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में ऋण पुनर्भुगतान में कमी हुई और कुल ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 की तुलना में ₹1,994.15 करोड़ (10.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹92,714.22 करोड़ था जिसमें ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल था। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,036.04 करोड़ की उधार राशि का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया गया था। उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी धारणीय नहीं है और यह संपत्ति के निर्माण को प्रभावित करेगा।

2.9 अनुशंसाएं

i. राज्य शासन को वित्त आयोग और राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अपने वित्तीय मापदण्डों में सुधार के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विभिन्न उपायों का पता लगाना चाहिए।

ii. पूँजीगत व्यय को बढ़ाने की जरूरत है और उधार ली गई निधि का उपयोग विकास को प्रोत्साहित करने हेतु संपत्ति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। शासन को पूँजीगत परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के कारणों की समीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए और इस संबंध में बाधाओं को दूर करने के लिये शामिल विभागों को सक्षम करने के लिये त्वरित उपाय शुरू करना चाहिए।